1044
18/2/13

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

खण्ड - 6 संख्या - 8, 9, 10

एकादश

बिहार विधान-सभा (वादवृत्त)

सत्यमेव जयते

भाग - 1

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

तिथि 3, 4, 5 जुलाई, 1996 ई०

श्री रघुनाथ झा : महोदय, मैं फिर से उत्तर दे देता हूं।

उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मधुबनी जिला के हिसार गांव में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं बनाकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें अस्पताल भवन, दाई आवास, तृतीय वर्गीय कर्मचारी आवास- दो अदद का निर्माण विद्युतीकरण कार्य को छोड़कर पूर्ण करा लिया गया है। शेष कार्य स्वास्थ्य विभाग से आवंटन नहीं प्राप्त होने के फलस्वरूप अभी अधूरा पड़ा हुआ है।

अगर स्वास्थ्य विभाग विद्युतीकरण के अभाव में इस भवन का हस्तान्तरण लेना चाहती है तो भवन निर्माण विभाग हस्तान्तरित करने के लिए तैयार है।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री देवनाथ यादव सदन केवेल में आकर बोलने लगे।

अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाइये, आप बैठिये ना। प्रश्नोत्तर काल समाप्त। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सभी पटल पर रख दिये जायें।

परिशिष्ट - 1

बाल श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारना

312. **श्री पशुपति नाथ सिंह**- क्या मंत्री, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में बाल श्रमिकों की संख्या-20 लाख है, यदि हाँ तो सरकार बाल श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कौन सा कदम उठाने का विचार रखती है?

श्री विद्या सागर निषाद, बिहार में बाल श्रमिकों की संख्या 20 लाख होने की बात सही नहीं है। इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि राजय सरकार

के श्रम विभाग द्वारा बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें 1,48,000 (एक लाख उड़तालीस हजार) बाल श्रमिकों की पहचान हुई है।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति (एन.सी.एल.पी) के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के विकास हेतु राजय के 8 जिलों यथा-

(1) गढ़वा-में 4 विशेष स्कूल

(2) पश्चिम सिंहभूम में 38 विशेष स्कूल

(3) दूमका में 40 विशेष स्कूल

(4) साहेबगंज में 8 विशेष स्कूल

(5) पाकुड़ में 19 विशेष स्कूल

(6) जमूई में 20 विशेष स्कूल

(7) नालन्दा में 25 विशेष स्कूल

(8) सहरसा में 40 विशेष स्कूल की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है

इन विशेष विद्यालयों में बाल श्रमिकों को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करके मुख्य धारा में जोड़ने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति के तहत 4 स्वयं सेवी संगठनों

(1) ग्रामीण संसाधन विकास परिषद, बक्सर

(2) गोपाल समाज कल्याण प्रतिष्ठान, नालन्दा

(3) ग्राम स्वराज अभियान संस्थान-वैशाली एवं

(4) मिथिला श्रम विकास परिषद्, दरभंगा को भी बाल श्रमिकों के विकास हेतु परियोजना चलाने के लिए आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की है।

पुलिया की मरम्मति

313. श्री राम देव वर्मा : क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत बी०डी०एन०आर० पथ के चैता बम्बई जल निकासी नाले के ऊपर स्थित पुलिया वर्ष 1994 में ही क्षतिग्रसत हो गया जिससे यातायात बाधित है यदि हाँ तो सरकार इस पुलिया की मरम्मति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों।

प्रभारी मंत्री : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है। यातायात डायभरसन से चालू है। इस वित्तीय वर्ष में मरम्मति कार्य पुरा कर लेने का कार्यक्रम है।

सड़क का निर्माण

315. क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत महेशखुट-चौथम बेलदौर पथ में बेला जीरो माईल से बनतलवा जीरो माईल तक एवं रोहिनामा से बेलदौर तक कुल 6 कि०मी० सड़क जर्जर हो गयी है, जिससे आवागमन में लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?

2. क्या यह बात सही है कि यह सड़क बेलदौर प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक जाने का एक मात्र सड़क है?